न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी बृजमोहन बैरवा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 16/2017

बउनवान

सरकार जर्ये थानाधिकारी पुलिस थाना कवाई जर्ये जिला पुलिस अधीक्षक महोदय बारॉ
(सायल)

बनाम

सुरेन्द्र कुमार पुत्र प्रेमनारायण जाति लुहार निवासी कवाई जिला बाराँ
(गैरसायल)

इस्तगासा अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा–3

उपस्थिति :– 1– अभियोजन अधिकारी (सायल)
2– श्री कृष्णकांत शर्मा अभिभाषक (गैरसायल)

निर्णय दिनांक 05.10.2021

वाक्यात मामला इस्तगासा इस प्रकार है कि गैरसायल सुरेन्द्र कुमार पुत्र प्रेमनारायण जाति लुहार निवासी कवाई जिला बाराँ के विरूद्व जिला पुलिस अधीक्षक, बारॉ द्वारा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत प्रेषित किया गया है।

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि गैरसायल के खिलाफ थानाधिकारी पुलिस थाना कवाई ने जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, बारां को रिपोर्ट की है कि पुलिस थाना कवाई जिला बारॉ क्षेत्र के अन्तर्गत गैरसायल आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है। यह व्यक्ति जुआ सट्टा जैसी अवैधानिक गतिविधियों में संलिप्त है। इसके विरूद्व पुलिस थाना कवाई में वर्ष 2015 से 2017 तक की अवधि में कुल 03 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ के तहत दर्ज हुये है। जिनमें समस्त प्रकरणों में गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है। फिर भी इसकी आपराधिक गतिविधियॉ जारी है तथा लगातार अपराधों की ओर अग्रसर हो रहा है। इसकी आम शौहरत भी ठीक नहीं है। इसका आम जनता में भय एवं आतंक बना हुआ है। इसके विरूद्ध कोई भी व्यक्ति रिपोर्ट करने अथवा गवाही देने से डरता है। इसकी इन आपराधिक गतिविधियों के कृत्य से लोक व्यवस्था एवं शांति को खतरा उत्पन्न हो रहा है। कानून व्यवस्था एवं लोकशान्ति को दृष्टिगत रखते हुये इसके क्रियाकलापों पर अंकुश लगाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त समाजकंटक के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा अधिनियम के तहत कार्यवाही हेतु इस्तगासा प्रेषित कर विधिवत कार्यवाही करते हुए इसको जिले की सीमा से निष्कासन किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.03.14 16:39:23 IST
Reason: SelfAttested

इस प्रकार गैरसायल द्वारा आपराधिक क[illegible] जिससे सार्वजनिक शांतिभंग होने से आम जनता में भय का वातावरण उत्पन्न हो[illegible] प्रकरणों में न्यायालय द्वारा दोष सिद्व ठहराया जाकर सजायाब किया जा चुका है। यह गुण्डा [illegible] परिभाषा में आता है। अतः इसके विरूद्व अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधि[illegible] 1975 [illegible] के तहत कार्यवाही की [illegible] इस्तगासा विरूद्व गैरसायल के पेश कर, उक्त आपराधिक कृत्य में मशगूल होने से गैरसायल [illegible] गुण्डा घोषित किया जाकर, उसे राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत जिले से निष्कासित करने के आदेश चाहे गये।

इसके उपरांत गैरसायल के विरूद्व प्रस्तुत इस्तगासे को दिनांक 08.09.2017 को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा पुलिस द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे एवं साक्ष्य के सारगर्भित बिन्दुओं को दर्शाते हुए गैरसायल को आहूत किया गया तथा गैरसायल की जर्ये सम्मन तलबी की गई। गैरसायल द्वारा जर्ये अभिभाषक उपस्थिति दी गई। गैरसायल के अभिभाषक द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया जाकर प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

दौराने बहस अभियोजन अधिकारी सरकार पक्ष का मुख्य कथन है कि गैरसायल के विरूद्व पुलिस थाना मांगरोल में वर्ष 2015 से 2017 तक की अवधि में कुल 03 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ के तहत दर्ज हुये है। जिनमें समस्त प्रकरणों में गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है। फिर भी इसकी आपराधिक गतिविधियॉ जारी है तथा लगातार अपराधों की ओर अग्रसर हो रहा है। इसकी आम शौहरत भी ठीक नहीं है। इसका आम जनता में भय एवं आतंक बना हुआ है। इसके विरूद्ध कोई भी व्यक्ति रिपोर्ट करने अथवा गवाही देने से डरता है। इसकी इन आपराधिक गतिविधियों के कृत्य से लोक व्यवस्था एवं शांति को खतरा उत्पन्न हो रहा है। कानून व्यवस्था एवं लोकशान्ति को दृष्टिगत रखते हुये इसके क्रियाकलापों पर अंकुश लगाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त समाजकंटक के विरूद्व राजस्थान गुण्डा अधिनियम के तहत कार्यवाही हेतु इस्तगासा प्रेषित कर विधिवत कार्यवाही करते हुए इसको जिले की सीमा से निष्कासन किया जावे।

गैरसायल के अभिभाषक द्वारा उपस्थित होकर प्रकरण में प्रस्तुत जवाब के कथनों को दौहराते हुये कहा गया कि अप्रार्थी धारा 2(बी) के अन्तर्गत गुण्डा की परिभाषा में नहीं आता है, उसे सर्वथा गलत नोटिस दिया गया है। इस परिभाषा में वर्णित कोई अपराध का मुकदमा न तो अप्रार्थी के विरूद्व चला है और न हीं कभी उसे सजायाब किया गया है। उसे सर्वथा निराधार आधारों पर नोटिस दिया गया है। पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो अप्रार्थी को धारा 2(बी) के तहत गुण्डा ठहराती हो। अप्रार्थी के विरूद्व मात्र 13 आरपीजीओ के 03 प्रकरण दर्ज हुए है, जिसमें भी लोक अदालत की भावना से प्रकरण का निस्तारण करवाया गया है तथा मात्र 100/– रूपये के जुर्माने से न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है तथा इसके अलावा उनमें अप्रार्थी को धारा 12 का लाभ भी दिया गया है। जिस कारण उनमें होने वाले निर्णय का प्रभाव अप्रार्थी के विरूद्व किसी भी प्रकार की निर्हरता के रूप में नहीं पड़ेगा। अप्रार्थी को धारा 2(बी) के तहत गुण्डा नहीं ठहराती हो, इस सम्बन्ध में–1984 एल.आर.(राज0) 206, 1996–97 सी.आर.एस. 216, 2980 एल.आर.डब्ल्यू. पेज 6, 1995 राज0 492, 1996(1) आर.सी.डी.(राज0) 147 के विधि दृष्टान्त है। अतः जवाब नोटिस प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त परिस्थितियों, विधि तथा राज0 उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों के प्रकाश में अप्रार्थी के विरूद्व की गई कार्यवाही निरस्त की जावें।

अभियोजन अधिकारी पक्ष सरकार एवं गैरसायल के अभिभाषक की बहस सुनी तथा इस्तगासे में प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया गया। गैरसायल के विरूद्व पुलिस थाना कवाई में वर्ष 2015 से 2017 तक की अवधि में कुल 03 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ के तहत दर्ज हुये है। उक्त 3 प्रकरणों में गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है।

अतः उक्त समस्त तथ्यों के अनुसार यह [illegible] होता है कि सुरेन्द्र कुमार पुत्र प्रेमनारायण जाति लुहार निवासी कवाई जिला बारॉं [illegible] है। जिसके आधार पर गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 2 (आ) की परिभाषा में आना पूर्णतया सिद्व है, क्योंकि धारा 2 (आ) के प्रावधान के अनुसार गैरसायल समस्त प्रकरणों में न्यायालय से सजायाब किया जा चुका है।

अतः गैरसायल सुरेन्द्र कुमार पुत्र प्रेमनारायण जाति लुहार निवासी कवाई जिला बारॉं को सजायाबी रिकार्ड के आधार पर राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 (आ) के तहत गुण्डा घोषित करता हूॅ तथा राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 (3) (क) के प्रावधानों के अन्तर्गत बारां जिले के पुलिस थाना क्षेत्र कवाई से 15 दिन के लिए गैरसायल को निष्कासित किये जाने का आदेश देता हूॅ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.03.14 16:39:23 IST
Reason: SelfAttested

गैरसायल सुरेन्द्र कुमार पुत्र प्रेमनारायण जाति लुहार निवासी कवाई जिला बाराँ को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत पुलिस थाना कवाई जिला बाराँ क्षेत्र से 15 दिन के लिए निष्कासित किया जाता है। गैरसायल उक्त अवधि में अपनी उपस्थिति प्रत्येक दिवस थानाधिकारी पुलिस थाना, मोठपुर जिला बाराँ को देगा। इस अवधि में अपराधी ऐसा कोई आचरण नहीं करेगा जो व्यक्तियों के प्रतिकूल एवं सामान्य व्यवहार संहिता के विरूद्व हो अर्थात् इस अवधि में पूर्ण सच्चरित्र रहेगा। किसी आपराधिक गतिविधि में भाग नहीं लेगा।

गैरसायल के विरूद्व यह आदेश दिनांक 21.10.2021 से प्रभावी होगा।

नियमानुसार तहरीरे जिला पुलिस अधीक्षक, बारां एवं थानाधिकारी पुलिस थाना मोठपुर, जिला बारॉ को दी जावें। थानाधिकारी पुलिस थाना कवाई जिला बारॉ को तहरीर दी जावे, जिसमें यह लिखा जावें कि गैरसायल को उक्त आदेश की पालना में जिले के पुलिस थाना कवाई जिला बारॉ क्षेत्र से बाहर निष्कासित कर, थानाधिकारी पुलिस थाना मोठपुर जिला बारॉ के सुपुर्द कर, पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक **05.10.2021** को मेरे द्वारा सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली बाद तामील तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(बृजमोहन बैरवा)
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ

Signature Not Verified

Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.03.14 15:39:23 IST
Reason: SelfAttested